



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज


पत्रांक: प्रो०रा०सि०वि०वि० / कुसका/सम्ब०/अनुमोदन/ 2021-4214

दिनांक: 23/11/2021

## कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के पठन-पाठन कार्य हेतु प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय में पत्रावली प्रेषित की जाती है, पत्रावली में महाविद्यालय द्वारा एवं प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं द्वारा संलग्न किये गये प्रपत्र अपूर्ण न रह जाए, उसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का समाविष्ट होना आवश्यक है-

1. महाविद्यालय के प्रबंध समिति की सूचना/एजेण्डा, कार्यवाही रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति।
2. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विषय विशेषज्ञ की पूर्ण स्वप्रमाणित प्रति।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत विषय विशेषज्ञों का सहमति पत्र की मूलप्रति।
4. विश्वविद्यालय से निर्गत सम्बद्धता आदेश की स्वप्रमाणित प्रति।
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रबन्ध समिति के मान्यता की स्वप्रमाणित प्रति।
6. उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31(10) के तहत विज्ञापित पदों हेतु दो दैनिक समाचार पत्रों में तीन अंक (दिन) के विज्ञापन की स्वप्रमाणित प्रति।
7. प्रबंधक/सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में 50/-रु० नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ शपथपत्र मूल रूप में।
8. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं का आवेदन पत्र जो कि पूर्ण रूप से भरा गया हो एवं प्रबंधक, सचिव व प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
9. प्रवक्ताओं के संलग्नक प्रपत्र हाईस्कूल अंकपत्र, प्रमाण पत्र, इण्टरमीडिएट अंकपत्र, प्रमाण पत्र, बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम०/एम०ए०/एमससी०/एम०कॉम० के पूर्ण अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र, नेट/पी०एच०डी० प्रमाण पत्र रेगुलेशन सहित, आधार कार्ड, पैनकार्ड की स्वप्रमाणित प्रति (अभ्यर्थी एवं प्रबंधक द्वारा स्वप्रमाणित हो)।
10. सभी अभ्यर्थियों द्वारा रु. 10/-के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटोयुक्त शपथपत्र (निर्धारित प्रारूप पर) मूल रूप में।
11. प्राचार्य के संलग्नक प्रपत्र बिन्दु सं० 09 के अनुसार होंगे एवं प्राचार्य पद के लिए उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो एवं अनुमोदन पत्र, अनुबन्ध पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, महाविद्यालय द्वारा किये गये एक वर्ष का वेतन भुगतान की प्रति तथा महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
12. विभागाध्यक्ष के संलग्नक प्रपत्र बिन्दु सं० 09 के अनुसार होंगे एवं विभागाध्यक्ष पद के लिए 10 वर्षों का अध्यापन अनुभव हो, अनुमोदन पत्र, अनुबन्ध पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, महाविद्यालय द्वारा किये गये एक वर्ष का वेतन भुगतान की प्रति तथा महाविद्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
13. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता हेतु आवेदित अभ्यर्थी यदि एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० हो तो जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
14. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन समिति की संस्तुति एवं उपस्थिति पत्रक पूर्ण रूप से भरी गयी हो एवं महाविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हो।

  
22/11/2021

अंकित पेटल नं.-2



## प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज


- 2 -

15. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति नामित चारों विषय विशेषज्ञ एवं प्रबंधक/अध्यक्ष तथा अभ्यर्थी का गुपु फोटोग्राफ जो स्पष्ट हो मूल रूप में ।
16. महाविद्यालय द्वारा सभी प्रपत्र प्रमाणित हो ।
17. जिस प्रपत्र की छायाप्रति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की जाय। वह अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के प्रबंधक द्वारा भी प्रमाणित हो ।

प्रस्ताव के साथ उक्त बिन्दुओं पर आधारित एक चेक लिस्ट (Check List) विकसित की गई जो कि संलग्न है। प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता अनुमोदन के प्रस्तावों के साथ संलग्न चेक लिस्ट (Check List) अनिवार्य रूप से संलग्न कर ही प्रस्ताव भेजें। अन्यथा की स्थिति में प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों को समाविष्ट करते हुए प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्यों के अनुमोदन पत्रावली प्रेषित की जाए जिससे कि प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/सहायक आचार्यों के अनुमोदन पत्रावली की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।


संलग्नक- यथोपरि- चेक लिस्ट।



(एस.के. शुक्ल)  
कुल सचिव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति को, मा10 कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।



(सुनील कुमार सरोज)  
सहायक कुल सचिव।

२१८